यूथनीज़या का आदेश

सौलहवां फ़िक़्ही सेमिनार (आज़म गढ) दिनांक 10-13 रबीउल अव्वल 1428 हिजरी, 30 मार्च - 2 अप्रैल 2007 ई॰ को आयोजित हुआ।

इस्लामी शरीअत में मानव जीवन का बड़ा महत्त्व है और यथा साम्थर्य उसकी रक्षा स्वयं उस व्यक्ति पर और दूसरों का कर्तव्य है, इसलिए:

.1 किसी रोगी को बड़े भारी कष्ट से बचाने या उसके सगे सम्बन्धियों को इलाज और देख रेख की परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए जान बूझ कर ऐसे उपाय करना कि जिससे उसकी मौत हो जो हराम है और मानव जीवन की हत्या के अपराध के आदेश में है।

.2 ऐसे रोगी को यद्यपि विनाशकारी दवा न दी जाए मगर अपनी कोशिश भर ताकत रखने के बावजूद उसका इलाज करना छोड़ दिया जाए ताकि जल्दी से जल्दी उसकी मौत हो जाए, यह भी जाइज़ नहीं।

☆☆☆